राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर, राजस्थान

क्रमांकः डीसी/विधि/2014/86 दिनांक :– 24-04-14

प्रभारी, सर्वर रूम,
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
मुख्यालय, जयपुर।

विषय :–प्रकरण संख्या 107/1999 सरकार बनाम प्रदीप कुमार पुत्र श्री अमृतलाल महात्मा, गुजरों का मौहल्ला, बीकानेर में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा दिनांक 11.03.2014 को पारित निर्णय की प्रति को विभागीय वेबसाईट एवं ई–मेल पर अपलोड करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर ने उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में दिनांक 11.03.2014 को आदेश पारित किया है जिसकी प्रति विभागीय वेबसाईट एवं ई–मेल पर प्रदर्श करते हुये समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान एवं समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान को ई–मेल भी करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (10)

औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : कृष्ण चन्द्र मोड़, आर.जे.एस
नंबरी फौजदारी प्रकरण सं. : 107 सन्– 1999

राजस्थान राज्य

बनाम्

प्रदीप कुमार पुत्र अमृत लाल महात्मा, गुजरों का मोहल्ला, बीकानेर।

.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा–27 (बी) (ii) एवं 28
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940

उपस्थिति :–

1– विद्वान सहायक लोक अभियोजक–प्रथम, वास्ते राज्य।

2– विद्वान अधिवक्ता मो. सदीक मोलानी, वास्ते अभियुक्त ।

::–निर्णय–::

दिनांक :–11.03.2014

यह परिवाद–पत्र राज्य सरकार की ओर से जरिये श्री ईश्वर सिंह, औषधि निरीक्षक, बीकानेर के द्वारा दिनांक 23.04.1999 को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा– 18 (ए) व धारा 18 (सी) के अपराधों के तहत अभियुक्त के खिलाफ प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से हैं :–

2– परिवाद–पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि अभियोगी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा–21 के तहत समस्त राजस्थान राज्य के लिए विधिवत् निरीक्षक है, जिसकी अधिसूचना राजस्थान राज–पत्र दिनांक 06.03.1997 को प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसके तहत परिवादी वाद लाने के लिए प्राधिकृत है।

3– परिवादी द्वारा इस आशय के साथ परिवाद–पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह बीकानेर मुख्यालय पर दिनांक 27.02.1997 से औषधि निरीक्षक के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 14.01.98 को तात्कालीन औषधी निरीक्षक जनक राज

औषधि नियंत्रण अधिकारी
बीकानेर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर

भाटिया ने अभियुक्त की दुकान मैसर्स प्रदीप जनरल स्टोर, गुजरों का मोहल्ला, बीकानेर का निरीक्षण किया । जनक राज भाटिया ने दुकान पर बैठे अभियुक्त को अपना परिचय दिया । दुकान के निरीक्षण के दौरान 16 गुणा 100 गुणा 2 एम.ल. ऑक्सीटोक्सीन इन्जेक्शन (वेटेनरी) मिले , जिसकी पुष्टि रफीक अहमद् चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से एक डब्बा मंगवाकर की । औषधी निरीक्षक ने उक्त औषधि के संग्रह या विकय का औषधि अनुज्ञा–पत्र मांगा, परन्तु प्रस्तुत नहीं किया । औषधी निरीक्षक ने उक्त औषधि का कय बिल मांगा, परन्तु अभियुक्त ने प्रस्तुत नहीं किया। कय बिल प्रस्तुत नहीं करने पर औषधि को फॉर्म सं.16 में गवाहों की उपस्थिति में नियमानुसार जब्त की गई तथा फॉर्म सं.17 में टेस्ट हेतु नियमानुसार सैम्पल लिया गया । निरीक्षण रिपोर्ट की एक–एक प्रति अभियुक्त को दी गई। तत्पश्चात् औषधि निरीक्षक ने अभियुक्त को अधिनियम की धारा– 18ए के तहत दिनांक 15.01.98 को नोटिस दिया जिसकी प्राप्ति अभियुक्त द्वारा कार्यालय प्रति पर दी तथा अभियुक्त से औषधि संबंधित अनुज्ञा–पत्र की सूचना चाही। सैम्पल को नियमानुसार टैस्टींग के लिए भेजा गया । सहायक औषधि नियंत्रक, बीकानेर ने अपने पत्रांक 2455 दिनांक 27.01.98 के द्वारा अभियुक्त के पास कोई औषधि अनुज्ञा–पत्र न होने को लिखा तथा अभियुक्त से जानकारी लेने को लिखा । अभियुक्त को स्मरण पत्र लिखा जो कि पोस्ट ऑफिस से यह लिखकर वापिस आया कि बार–बार जाने पर नहीं मिला।

4– तात्कालीन औषधि निरीक्षक ने अपने पत्रांक डी.आई./98–दिनांक 20.04.98 के द्वारा औषधि नियंत्रक, राजस्थान जयपुर को अभियुक्त के विरूद्ध वाद दायर करने की सहमति चाही । राजकीय विश्लेषक, गाजियाबाद ने अपनी टैस्ट रिपोर्ट नं. सी.आई.पी.एल./6008/248 दिनांक 21.10.1998 के द्वारा ऑक्सीटोक्सीन इन्जेक्शन का सैम्पल अवमानक कोटि का घोषित किया । अभियोगी ने अभियुक्त को नोटिस तथा टैक्स रिपोर्ट की प्रति कार्यालय के च.श्रे.कर्म. रफीक अहमद के द्वारा भिजवाई जिसे लेने से मना करने पर दीवार पर चस्पा किया गया ।

5– अभियोगी ने पुनः औषधि नियंत्रक, राजस्थान , जयपुर को पत्रांक बिना लाईसेंस एवं अवमानक कोटि की औषधियों का संग्रह एवं विकय करने के कारण सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की अनुमति मांगी । इस संबंध में दिशा–निर्देश मिलने पर इस्तगासे के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ।

6– उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा अनाधिकृत तरीके से एलापैथि औषधि ऑक्सीटोक्सीन इन्जेक्शन बी.पी. वैट का संग्रह एवं विकय किया

औषधि नियंत्रण अधिकारी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर

जाता है, जबकि अभियुक्त के पास कोई औषधि अनुज्ञा–पत्र नहीं है, जो कि अधिनियम की धारा– 18 (सी) की अवमानना है, जो कि धारा– 27 (बी) (11) के तहत दंडनीय है। अभियुक्त ने औषधि का क्रय बिल मांगने पर प्रस्तुत नहीं किए, जो अधिनियम की धारा–18ए की अवमानना है,जिसकी दंडनीय धारा–28 है। अतः उक्त अपराधों में कार्यवाही की जावे ।

7– इस आशय के साथ परिवाद–पत्र के साथ प्रदर्श पी–1 से प्रदर्श पी–29 दस्तावेजात् की सूची प्रस्तुत की गई व अन्य दस्तावेजात् के साथ प्रस्तुत किया गया ।

8– अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित आने पर उसको पृथक से धारा– 27 (बी) (2) व धारा–28 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अपराधों का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही ।

9– अभियोजन पक्ष के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में पी.डब्ल्यू.1 ईश्वरचंद, पी. डब्ल्यू.2 ललित अजारिया, पी.डब्ल्यू.3 जनकराज भाटिया, पी.डब्ल्यू.4 अलीशेर भाटी, पी. डब्ल्यू.5 रफीक तथा पी.डब्ल्यू.6 शोहरत मिर्जा को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजात् को प्रदर्शित करवाया गया ।

10– अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विपरीत उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों में स्पष्टीकरण के लिए अभियुक्त को धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने गवाहों के बयानों को गलत बताया तथा स्वयं को निर्दोष होने बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश करने का अवसर लेकर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की ।

11– उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण के निर्णयार्थ निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू तय किए जाते हैं :–

1)– क्या दिनांक 14.01.1998 को दिन में किसी समय अभियुक्त के प्रतिष्ठान मैसर्स प्रदीप जनरल स्टोर, गुजरों का मोहल्ला, बीकानेर में औषधि निरीक्षक ने चैकिंग की तो अभियुक्त के पास एलोपैथी औषधि ऑक्सीटोक्सीन इन्जेक्शन वी.पी. वैट. का विक्रय हेतु संग्रह पाया गया एवं मांगने पर उक्त औषधि के क्रय का बिल प्रस्तुत नहीं किया गया?

12– उपर्युक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया

औषधि नियंत्रण अधिकारी

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर

गया एवं मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य का अध्ययन किया गया ।

13— इस प्रकरण के समस्त गवाहान्, जिनमें ईश्वरसिंह पी.डब्ल्यू.1 औषधि नियंत्रक अधिकारी, पी.डब्ल्यू.2 ललित हजारी दवा औषधि नियंत्रक, पी.डब्ल्यू.3 जनकराज भाटिया तात्कालीन औषधि निरीक्षक, पी.डब्ल्यू.4 अलीशेर भाटी जिसके द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही के समय उपस्थिति तथा पी.डब्ल्यू.6 शोहरत मिर्जा की प्रत्यक्ष गवाह के रूप में उपस्थित बताई है। परन्तु इस प्रकरण में शोहरत मिर्जा एवं अलीशेर भाटी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं।

14— इन गवाहों के बयानों के अलावा शेष गवाहान् के बयानों से इस नतीजे पर पहुंचा जाता है कि :—

15— अभियुक्त की दुकान जो कि मैसर्स प्रदीप जनरल स्टोर थी का स्वामी प्रदीप कुमार था। उस दुकान में निरीक्षक ने मो. रफीक च.श्रे.कर्म. को सर्वप्रथम इस आशय के साथ भेजा कि प्रदीप जनरल स्टोर, गुजरों का मोहल्ला, बीकानेर में ऑक्सीटोक्सीन का डब्बा खरीदना है। यह आदेश उसे जनकराज भाटी , औषधि निरीक्षक, बीकानेर ने दिए, जिस पर वह उक्त दुकान पर गया, जिस पर प्रदीप कुमार स्वयं मौजूद था । तब इस्पेक्टर साहब ने प्रदीप जनरल स्टोर में से 20 डब्बे लेकर के उनमें से चार डब्बों को बतौर सैम्पल शील चपड़ी किया । उस समय अलीशेर एवं व शोहरत मिर्जा भी थे। इन्सपेक्टर साहब ने लिखित रिपोर्ट मौके पर प्रदर्श पी—15 भी प्रस्तुत की । इस सैम्पल को नियमानुसार सीलबंद करने के पश्चात् जांच के लिए भेजा गया, जो अवमानक पाया गया ।

16— परन्तु अब इस प्रकरण में जो अभियोजन स्वीकृति अभियुक्त के खिलाफ प्रदर्श पी—10 दी गई है, उसमें अभियुक्त के पास आवश्यक औषधि अनुज्ञा—पत्र का नहीं होना व विक्रेता द्वारा रिकॉर्ड नहीं बताने का ही आरोप है। अतः ऐसी स्थिति में दवा अवमानक थी या नहीं थी, इस साक्ष्य के विवेचना की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अब अभियुक्त पर आरोप केवलमात्र यह है कि उक्त औषधि विक्रेता ने स्टॉक, लाईसेंस व क्रय बिल मांगे जाने पर नहीं होनें बताए और यही आरोप है।

17— जहां तक अनुज्ञा—पत्र का प्रश्न है, जब दवा ली गई, उस समय औषधि निरीक्षक जनकराज भाटिया ने अभियुक्त से दवा क्रय करने के पश्चात् फॉर्म सं.16 के आधार पर दवा जब्त की । रफीक ने जो डिब्बा क्रय किया था, उसके पैसे अभियुक्त से वापिस ले लिए तथा अभियुक्त के भौतिक कब्जे से 16 डिब्बे, जिनमें प्रत्येक में 100 इन्जेक्शन थे, कुल 1600 इन्जेक्शन भरे हुए थे, जब्त किए गए,

(शेखर ... चौधरी)
औषधि नियंत्रण अधिकारी

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जिनको रखने का अभियुक्त के पास कोई लाईसेंस नहीं था।

18— जहां तक अनुज्ञा–पत्र का प्रश्न है, अनुज्ञा–पत्र बताने का भार अभियुक्त पर डाला जाता है,क्योंकि यह उसकी की जानकारी में है या वह यह दौराने विचारण भी बता सकता था । दिनांक 14.01.1998 को जब औषधि निरीक्षक ने उसकी दुकान प्रदीप जनरल स्टोर से 16 डिब्बे जिनमें प्रत्येक में 100 इन्जेक्शन ऑक्सीटोक्सिजन के थे और उक्त को कब्जे में रखने बाबत् चैक किया तो उसके द्वारा आज निर्णय तारीख तक या पूर्व में कभी भी कोई अनुज्ञा–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

19— इस औषधि निरीक्षक जनकराज भाटिया ने अपने बयानों में कहा कि उसके द्वारा दिनांक 14.01.1998 को औषधि निरीक्षक के पद पर रहते हुए प्रदीप जनरल स्टोर, गुजरों का मोहल्ला, बीकानेर उसके क्षेत्राधिकार में होने के कारण उसने रफीक मो. को ऑक्सीटोक्सिन इन्जेक्शन वेटनरी का एक डब्बा क्रय करने हेतु भेजा गया, जिसके लिए 25/–रूपए दिए । फिर उसके पास प्राप्त 16 डिब्बे इन्जेक्शन उसके द्वारा फॉर्म सं.16 पर जब्त किए गए । रफीक ने जो डिब्बे क्रय किए, उसके पैसे मुल्जिम से वापिस ले लिए । उसी अनुसरा में उक्त 16 डिब्बे जब्त करने के पश्चात् नियमानुसार नमूना सीलबंद किया और जांच हेतु भेजा गया। परन्तु दवा अवमानक पाई गई। परन्तु जो अभियोजन स्वीकृति दी गई, वह प्रदर्श पी–10 होकर उसमें केवलमात्र औषधि निरीक्षक को रिकॉर्ड प्रदान नहीं करने एवं दवा को क्रय करने के संबंध में आई और उसके पश्चात् उक्त दवा को रखना, बेचने का अनुज्ञा–पत्र है या नहीं, बताना तक सीमित हो जाती है।

20— इस संबंध में अभियोजन स्वीकृति प्रर्दा पी–10 का अध्ययन करने पर केवलमात्र इसी सीमा तक स्वीकृति दी गई है। अतः ऐसी स्थिति में औषधि नियंत्रक अधिकारी पी.डब्ल्यू.1 ईश्वरसिंह ने अपने बयानों में कहा कि कि प्रदीप कुमार की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे धारा– 18ए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का नोटिस प्रदर्श पी–2 दिया, जो उसके द्वारा लेने से इन्कार कर दिया, जिसकी डाक स्लीप प्रदर्श पी–3 है। इसके पश्चात् नवम्बर में दूसरे औषधि निरीक्षक श्री ललिज हज़ारि का पदस्थापन होने पर यह पत्रावली उन्हें चार्ज में दी गई और फिर पुनः उनके द्वारा यह पत्रावली मार्च, 1999 में उन्हें प्राप्त हुई। इसने जिरह में अवश्य कहा कि प्रदीप जनरल स्टोर के पास अन्य मेडिकल स्टोर हो तो उसे पता नहीं है। इसके साथ ही इस गवाह ने यह भी कहा कि इस प्रकरण के

औषधि नियंत्रण अधिकारी

निर्माता को मुल्जिम नहीं बनाया गया, क्योंकि उनसे सम्पर्क ही नहीं हो पाया। जिससे यह दवा का नमूना जब्त किया गया, उसने निर्माता का पता नहीं बताया।

21– इसी प्रकार ललित हजारिया पी.डब्ल्यू.2, जिसके द्वारा इस प्रकरण में एक औपचारिकता पूरी की हुई है, क्योंकि इसके द्वारा जून–98 में औषधि निरीक्षक का पद ग्रहण किया गया एवं उसके पश्चात् पुनः स्थानान्तरण हो जाने पर ईश्वरसिंह को वापिस पत्रावली पुनः पदस्थापन होने पर सुपुर्द की गई । इस प्रकार यह एक औपचारिक सा गवाह है।

22– पी.डब्ल्यू.3 जनकराज भाटिया के द्वारा यह सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है, जिसने स्पष्ट रूप से अपने बयानों में कहा कि उसने बतौर औषधि नियंत्रक अभियुक्त से रफीक के मार्फ़त दवा क्रय की थी और उससे अनुज्ञा–पत्र मांगा तथा उससे रिकॉर्ड भी मांगा गया तथा उसने दवा कंहा से प्राप्त की पूछा गया । इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श पी–15 निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके जरिये उसने अभियुक्त के भौतिक कब्जे से उक्त दवा प्राप्त की थी। जिसमें यह उल्लेखित है कि रफीक मोहम्मद च.श्रे.कर्म. को ऑक्सीटोक्सिन इन्जेक्शन वैटनरी का एक डिब्बा खरीदने हेतु दुकान पर भेजा गया तो दवा पाए जाने पर फॉर्म सं.16 पर नियमानुसार जब्त किया गया । जब्तशुदा माल में से चार डिब्बा, डिब्बा नं. ए.ओ.यू.जी सैम्पल हेतु लिए गए , जिस पर अभियुक्त प्रदीप कुमार के हस्ताक्षर हैं। इसके द्वारा फॉर्म स. 16 दवाई क्रय करने के समय भरा गया और दवा लेने के पश्चात् दुकान पर ही प्रदर्श पी–17 तैयार किया गया । इसने प्रदर्श पी–21 नोटिस इस आशय के तहत दिया कि जब उसकी दुकान से दिनांक 14.01.1998 को ऑक्सीटोक्सिन इन्जेक्शन वैटनरी के 16 डिब्बे (प्रत्येक में 100 इन्जेक्शन) फॉर्म सं.16 भरकर जब्त किए गए थे, उसके संबंध में उसके पास कोई अनुज्ञा–पत्र विक्रेय हेतु हो तो दो दिवस में प्रस्तुत करें। परन्तु उसके द्वारा कोई जवाब पत्रावली पर प्रदीप कुमार की ओर से प्रस्तुत किया गया हो, वह नहीं पाया गया है और उसे प्रदर्श पी–22 नोटिस भी दिया गया कि दवा कहां से क्रय की गई है, जो भी उसके द्वारा नहीं बताया गया ।

23– विद्वान अधिवक्ता के द्वारा वक्त बहस अपने पक्ष समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किए गए हैं :–

1– ए.आई.आर. 2008 सुप्रीम कोर्ट 1939
मैसर्स मेडिकामैन बायोटैक लिमिटेड बनाम रूबिना बोस,

ड्रग इंस्पेक्टर

2– 1998 ड्रग कैसेज सुप्रीम कोर्ट पेज–11
स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम बृजलाल मित्तल एवं अन्य

3– 1999 (2) एफ.ए.सी. 399 सुप्रीम कोर्ट
स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम यूनिक फारमेड प्राईवेट लिमिटेड

4– 1999 (2) एफ.ए.सी. 232 (राज.)
बाबूलाल अग्रवाल एवं अन्य बनाम एसोसिएट डायरेक्टर एवं अन्य

5– 1998 ड्रग कैसेज (बोम्बे) 26
रमणभाई बी.पटेल एवं अन्य बनाम एस.आर. शर्मा, ड्रग इंस्पेक्टर एवं अन्य

24– उपर्युक्त उद्धरणों का ससम्मान अवलोकन एवं अध्ययन किया गया । इन सभी उद्धरणों से इस प्रकरण में किसी प्रकार से कोई मदद नहीं मिलती है तथा ये इसलिए चस्पा नहीं होते हैं, कारण कि आरोप के तहत मैसर्स प्रदीप जनरल स्टोर के मालिक प्रदीप कुमार से दिनांक 14.01.1998 को उक्त औषधि ऑक्सीटोक्सिन इन्जेक्शन वैटनरी जनकराज भाटिया पी.डब्ल्यू.3 के द्वारा कय की गई थी, तब अभियुक्त के पास दवा को विकय करने का कोई अनुज्ञा–पत्र नहीं था। उसको लिखित में नोटिस भी दिया गया, फिर भी उसके द्वारा कोई अनुज्ञा–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और इसके अलावा उसने यह दवा कहां से कय की, इस बाबत् भी सूचित किया गया, तब भी उसके द्वारा यह नहीं बताया गया कि यह दवा उसने कहा से कय की । जबकि प्रस्तुत किए गए उद्धरण अभियुक्त के जांच के अधिकार से संबंधित पुनः जांच करवाने से संबंधित ही हैं। जबकि अभियोजन स्वीकृति मात्र अनुज्ञा–पत्र व माल विकय करने व भंडारन से संबंधित है तथा उसके द्वारा दवा किससे कयकी, इससे संबंधित है। अभियुक्त पर यह आरोप नहीं है कि उसने दवा अवमानक पाई गई ,क्योंकि अवमानक दवा होने के बावजूद उसकी अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली थी । इस आशय का उल्लेख गवाह पी. डब्ल्यू.1 ईश्वरसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में किया है। अतः यह सभी उद्धरण चस्पा नहीं होते हैं।

औषधि निरीक्षक

न्यायिक मजिस्ट्रेट

25— जहां तक आरोप का प्रश्न है, अभियुक्त पर आरोपित आरोप को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है, परन्तु धारा—106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिस व्यक्ति से जिस तथ्य की जानकारी होती है, उसी पर उसका भार शिफ्ट होता है। उसके द्वारा दवा किससे कय की गई, यह भार अभियुक्त पर चला गया तो यदि उसके पास अनुज्ञा—पत्र था तो यह बताने का कर्तव्य उसी का था कि यह दवा विकेय करने का अधिकारी है। उसका औषधि एवं प्रसाधान अधिनियम के धारा—18 (सी) के प्रावधानों के तहत बताने का कर्तव्य था कि वह माल जिसको विकय हेतु रखा हुआ है, स्टॉक, प्रदर्शन कर रखा है, आदि के बारे में बताने की उसकी जिम्मेदारी थी, जो नहीं बताई गई है, जो कि धारा— 27 (बी) (ii) के तहत दंडनीय अपराध है, क्योंकि यह अभियुक्त का कर्तव्य था कि वह उक्त दवा बेचने के लिए नियमानुसार अनुज्ञा—पत्र रखता तथा दवा जहां से उसके द्वारा कय की गई है, उसको बताने की जिम्मेदारी भी उसी की थी, जो धारा—18 (ए) की परिभाषा में जो दवा या औषधि सामग्री रखी गई, वह कहां से उसके द्वारा प्राप्त की गई, उसके द्वारा बताया जाना था, जो धारा—28 के तहत दंडनीय अपराध है, जो अभियुक्त के द्वारा कारित किया गया है। इस समस्त साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं है।

26— अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष इस तथ्य को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 14.01.1998 को दिन में किसी समय अभियुक्त प्रदीप कुमार के प्रतिष्ठान मैसर्स प्रदीप जनरल स्टोर, गुजरों का मोहल्ला, बीकानेर में औषधि निरीक्षक ने चैकिंग की तो अभियुक्त के पास एलोपैथी औषधि ऑक्सीटोक्सीन इन्जेक्शन वी.पी.वैट. का विकय हेतु संग्रह पाया गया एवं मांगने पर उक्त औषधि के कय का बिल प्रस्तुत नहीं किया गया और ऐसी स्थिति में अभियुक्त प्रदीप कुमार को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा—27 (बी) (ii) एवं धारा—28 के अपराधों के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित है।

::—<u>आदेश</u>—::

27— फलतः अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र अमृत लाल महात्मा, गुजरों का मोहल्ला, बीकानेर को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा—27 (बी) (ii) एवं धारा—28 के अपराधों के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(कृष्ण चन्द्र मोड़)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर

::–सजा के बिन्दू पर–::

28– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त एवं विद्वान सहायक लोक अभियोजक को सजा के बिन्दू पर सुना गया ।

29– इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने यह निवेदन किया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अतः इस प्रकरण में अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे ।

30– इसके विपरीत विद्वान सहायक लोक अभियोजक के द्वारा उक्त तर्कों का विरोध किया गया ।

31– उभय पक्ष की बहस सुनन के उपरान्त न्यायालय का यह विनम्र मत है कि इस प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा पशु औषधि इन्जेक्शन को बिना किसी अनुज्ञा–पत्र के एक सामान्य जनरल स्टोर में रखे जाने एवं विक्रय किए जाने का अपराध कृत्य किया गया है तथा उसके द्वारा दवा के निर्माता का नाम या उसके स्टॉक के संबंध में कोई जानकारी औषधि निरीक्षक को नहीं दी गई है। इस प्रकार बिना किसी अनुज्ञा–पत्र के जनरल स्टोर में औषधियों को रखा है। अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को आरोपित अपराधों में कारावास से दण्डित किया जाना एवं उचित अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::–दण्डादेश–::

32– फलतः अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र अमृत लाल महात्मा, गुजरों का मोहल्ला, बीकानेर को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा–27 (बी) (II) एवं धारा–28 के अपराधों के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किए जाने के फलस्वरूप :–

(1)– औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा–27 (बी) (II) के अपराध के आरोप के अन्तर्गत **एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 5000/– (अक्षरे रूपए पांच हजार रूपए)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अभियुक्त दो माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर

— औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा–28 के अपराध के आरोप के अन्तर्गत एक **वर्ष के साधारण कारावास एवं 1000/– (अक्षरे** रूपए एक हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अभियुक्त एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

(3)– उक्त सभी सजाएं साथ–साथ चलेगी । अभियुक्त के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा एवं पुलिस अभिरक्षा के दौरान भुगती हुई सजा को दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–428 के प्रावधान्तर्गत मूल सजा में से मुजरा किया जावे । अभियुक्त का सजा वारंट जारी किया जावे ।

(4)– निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्त को उपलब्ध करवाई जावे ।

(कृष्ण चन्द मोड़)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर

(5)– निर्णय आज दिनांक 11.03.2014 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण चन्द मोड़)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर

(शेखर चन्द चौधरी)
औषधि नियंत्रण अधिकारी
बीकानेर

6016

नि: शुल्क स्टाम्प

10

3-12

6-12

PL

7/4/14

7/4/14

7/4/17